

24/6/24 धरोकार सकार उपण रिपोर्ट तहसीलदार  
घात हो चुकी थी वास्ते बहल पत्रावली  
दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

28/6/24 वकुलाम उपण बहल सुनीगामी  
वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 4/7/2024  
को पेश हो।


4/7/2024 पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश पेश  
हुई। वकील धरोकार एवं वकील  
अप्रार्थीगण उपस्थित। उभय पक्षों को  
सुना गया था। पत्रावली एवं माननीय  
न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त  
जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक  
5/10/2021 का अवलोकन किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली इस आशय  
के साथ प्रेषित की गई है कि प्रभावित  
पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित  
किया जावे। सभी प्रभावित पक्षकारों को  
विधिवत् सुना गया। तहसीलदार नीमकाथाना  
से रास्ता के संबंध में पुनः रिपोर्ट मंगवाई  
गई। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपने  
पत्रांक 2540 दिनांक 09/05/2024 द्वारा  
पटवारी हल्का पीथमपुरी की रिपोर्ट

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



गम नक्शा प्रस्तुत की गई है। इस सिंचन  
 से सभी पट्टाकार सहमत है सहमत  
 जाब्त आदेशिका पर हस्ताक्षर किमे जाके  
 है पूर्व में नमालम हाजा द्वारा जारी  
 आदेश 17/9/2013 को निरस्त किया जाता  
 है मुताबिक तहसीलदार (शु.अ) नीमकाधान  
 के फांनक 09/05/2024/2540 दिनांक 09/05/2024  
 अनुसार गम पीथमपुरी के खे.नं. 1525 की  
 उत्तरी सीमा से 18 मीटर दक्षिण की ओर  
 रास्ता कामम किया जावे। जसिमे नामान्तस  
 रास्ता मुख्य खे.नं. अंकित करते हुए  
 रास्ते के रफका की किस्म और मुमकिन  
 रास्ता दर्ज किया जावे। एवं नक्शे में  
 तरमीम की जावे। तहसीलदार नीमकाधान  
 द्वारा दिनांक 09/05/2024 को भेजा गमा  
 प्रस्ताव व ~~नक्शा~~ नक्शा ईस आदेश  
 का भाग रहेगा। आदेश की पालना में  
 तहसीलदार नीमकाधान को तहरीर जारी  
 है। निर्णय करे इजलास सुनामा गमा।  
 पत्रावली ईसल सुमार होकर नम्बर से  
 कम होकर हफतर दाखिल है।

  
 (राजवीर सिंह यादव)  
 उपखण्ड अधिकारी